न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/33/2022	2022/132	11.04.2022	22.07.2024

1. ईशाक खां पुत्र स्व0 रहमानखां जाति मेव उम्र करीब 68 साल निवासी ग्राम जाहरखेडा हाल निवासी गणपति विहार तिजारा फाटक के पास अलवर राजस्थान।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. हारूनखां पुत्र ईशाक खां उम्र करीब 40 साल
2. वहीदन पत्नी हारूनखां उम्र करीब 40 साल
3. सोहेल खां पुत्र हारूनखां उम्र करीब 21 साल
4. सादिकखां पुत्र हारूनखां उम्र करीब 19 साल
5. सन्ना पुत्री हारूनखां पुत्री हारूनखां उम्र करीब 18 साल जातियान मेव हाल निवासीयान गणपति विहार तिजारा फाटक के पास अलवर राज0।

—— रेस्पोडेन्टान

अपील विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर प्रकरण संख्या 03/27/2021 निर्णय दिनांक 11.02.2022

उपस्थितः—

01. श्री सुनील कुमार झालानी —वकील अपीलान्ट
02. श्री दलेर सिंह — वकील रेस्पोडेन्ट्स

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट् ने यह अपील अन्तर्गत धारा—16 माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के आदेश दिनांक 11.02.2022, से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर राजस्थान निर्णय दिनांक 11.02.2022 प्रकरण संख्या 03/27/2021 का है। अपीलान्ट ने तहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश किया व अंकित किया कि मिन अपीलान्ट प्रार्थी का एक रिहायशी मकान गणपति विहार तिजारा फाटक के पास अलवर राज० में वाके है, जिसमें मिन अपीलान्ट प्रार्थी एंव रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण एंव अपीलान्ट प्रार्थी के अन्य पुत्र निवास करते हैं, उक्त रिहायशी जायदाद एंव अन्य खातेदारी की आराजीयात वाके जाहरखेडा व उलाहेडी में मिन अपीलान्ट प्रार्थी ने अपने जातिय पैदाकर्दा यानि स्वंय कमाई से अर्जित की है। अपीलान्ट प्रार्थी ने अपने पुत्रों रैस्पाडेन्ट अप्रार्थी संख्या 1 हारूनखां एंव सहरूनखां व मौहम्मद साहुन खान का निकाह कर दिया है एंव अभी साहिल खान अविवाहित है एंव अपनी तीन पुत्रियों का मिन अपीलान्ट प्रार्थी ने निकाह कर दिया है, रैस्याडेन्ट अप्रार्थी संख्या 1 बाद निकाह से अरसा करीब 15—16 साल से अपने परिवार के साथ मिन अपीलान्ट प्रार्थी के मकान में अलग रहकर खान पान करता है एंव अपनी कमाई में से एक रूपया भी मिन अपीलान्ट प्रार्थी को आज तक कभी भी नहीं दिया है। अपीलान्ट प्रार्थी

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

का पुत्र मौहम्मद साहुन खान करीब 5–6 साल से अपनी पत्नी व बच्चों के साथ अलग दिल्ली में रहकर अपना कार्य करता है, सहरूनखां भी अरसा करीब 10 साल से अलग रहकर अपना खान पान करता है, परन्तु मिन अपीलान्ट प्रार्थी व अपीलान्ट प्रार्थी के अविवाहित पुत्र साहिल खान के खान पान एंव देखभाल सहरूनखान ही करता है। रैस्पाडेन्ट अप्रार्थी संख्या 1 हारून खां जो मिन अपीलान्ट प्रार्थी का बडा पुत्र है, ने आज दिनांक तक कभी मिन अपीलान्ट प्रार्थी की कोई देखभाल व सेवा नहीं की है, उल्टे जब से रेस्पाडेन्ट अप्रार्थी संख्या 1 अपने बच्चों के साथ रहता है, तभी मिन अपीलान्ट प्रार्थी को आये दिन झगडा फसाद कर तंग व परेशान करता चला आ रहा है। आये दिन अपीलान्ट प्रार्थी से जबरन नाजायज तरीके से रूपये ऐंठता चला आ रहा है एंव मिन अपीलान्ट प्रार्थी की स्वयं खरीदशुदा जायदाद में अपनी रिहायश के अलावा अपने बडे पुत्र रैस्पाडेन्ट अप्रार्थी संख्या 3 से ताईक्वांडो का कार्य मिन अपीलान्ट प्रार्थी के मकान के बेसमेन्ट में करता है एंव पहली मंजिल अपने रहने के लिए कब्जा कर रखी है, परन्तु आज दिनांक तक कभी भी अपने हिस्से की बिजली का बिल मिन अपीलान्ट प्रार्थी को अदा नहीं किया है, मिन अपीलान्ट प्रार्थी आज दिनांक तक स्वंय ही बिजली का बिल जमा कराता चला आ रहा हैं। जबकि रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण ने मिन अपीलान्ट प्रार्थी के ज्यादातर मकान पर नाजायज कब्जा कर रखा है। रैस्पाडेन्ट अप्रार्थी संख्या 1 मिन अपीलान्ट प्रार्थी का सुलभी पुत्र है, रैस्पाडेन्ट अप्रार्थी संख्या 2, रैस्पाडेन्ट अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी है जो मिन अपीलान्ट प्रार्थी की पुत्रवधु है, रैस्पाडेन्ट अप्रार्थी संख्या 3 व 4 रैस्पाडेन्ट अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र व मिन अपीलान्ट प्रार्थी के पौत्र हैं, रैस्पाडेन्ट अप्रार्थी संख्या 5 रैस्पाडेन्ट अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्री है व मिन अपीलान्ट प्रार्थी की पौत्री है जिन सभी ने मिन अपीलान्ट प्रार्थी के विरूद्ध नाजायज गिरोह बना रखा है। पिछले करीब 5–6 सालों से मिन अपीलान्ट प्रार्थी को ज्यादा तंग व परेशान करने लग गये। कभी मेरे पुत्र सहरून की पत्नी व मेरी पत्नी को रैस्पाडेन्ट अप्रार्थी संख्या 02 गलत तरीक पर कमरों में बन्द कर देती, कभी उनसे मारपीट करती, जिससे परेशान होकर मिन अपीलान्ट प्रार्थी की पत्नी रेशमी बेगम ने अरसा करीब दो–ढाई साल पहले दम तोड़ दिया, परन्तु फिर भी रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, आये दिन मिन अपीलान्ट प्रार्थी को मारने पीटने पर अमादा हो जाते हैं व जान से मारने की धमकी देते हैं एंव रैस्पाडेन्ट अप्रार्थी संख्या 1 ऐलानिया कहता है कि मैं, मेरी पत्नी व पुत्री से तेरे खिलाफ व तेरे अन्य तीनों पुत्रों के खिलाफ झूठा बलात्कार का मुकदमा या अन्य कोई संगीन झूठा मुकदमा इत्यादि लगा देंगे। रैस्पाडेन्ट अप्रार्थीगण ने पिछले 5–6 साल से मिन अपीलान्ट प्रार्थी का जीना हराम कर रखा है। मिन अपीलान्ट प्रार्थी पहले ग्राम पंचायत सिरमौली का सरपंच रह चुका है एंव सामाजिक लोक सेवक व्यक्ति है। मिन अपीलान्ट प्रार्थी लोक लाज की वजह से रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण के विरूद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर रहा था, परन्तु अब रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण ने मिन अपीलान्ट प्रार्थी का जीना दुश्वार कर दिया है। मिन अपीलान्ट प्रार्थी को व अपीलान्ट प्रार्थी के अन्य पुत्र को अब रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण झूठा मुकदमा बलात्कार में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। चूंकि अभी कुछ वर्ष पहले मिन अपीलान्ट प्रार्थी ने अपनी छोटी पुत्री का निकाह किया था व कुछ भात–छूछक भरे थे, इसलिए मिन अपीलान्ट प्राथी पर काफी कर्जा हो गया था, इसलिए मिन अपीलान्ट प्रार्थी ने अभी अपनी स्वंय की खरीदकर्दा आराजी का बेचान 95,00,000/– रूपये में किया था, जिससे बैंक व अन्य लोगों का मिन अपीलान्ट प्रार्थी ने कर्जा चुका सके, परन्तु रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण एकराय होकर जबरन मिन अपीलान्ट प्रार्थी को पकड लिया और मिन अपीलान्ट प्रार्थी के मौजूद 3,00,000/– रूपये जबरन छीन लिये एंव मिन अपीलान्ट प्रार्थी से जबरन एक चौक पर चाकू की नौक पर हस्ताक्षर करवा लिये एंव मिन अपीलान्ट प्रार्थी के बैंक खाते से बनियत चोरी 12,00,000/– रूपये रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण ने अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिये, जिसके विरूद्ध अलग से भी कार्यवाही की जा रही है, जिस कारण मिन अपीलान्ट प्रार्थी को रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगणं के खिलाफ तहत अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया था। मिन

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अपीलान्ट प्रार्थी ने रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण से कहा कि अगर मेरे मकान में रहना है तो अपना बिजली का सबमीटर लगवाकर बिजली का बिल दोगे तो ही मेरे मकान में रहने दूंगा। इस पर रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण नाराज हो गये और मिन अपीलान्ट प्रार्थी के साथ झगडा फसाद कर गाली गलौच करने व मारपीट करने को उतारू हो गये। जिस पर मिन अपीलान्ट प्रार्थी ने अपना मकान खाली करने के लिए कहा तो रैरपाडेन्टान अप्रार्थीगण इस बात पर भड़क गये और दिनांक 25–10–2021 को रैस्पाडेन्ट अप्रार्थी संख्या 2 मिटटी का तेल उठा लाई, मिन अपीलान्ट प्रार्थी के सोफे व बैड पर छिडक दिया, मिन अपीलान्ट प्रार्थी उठकर बाहर भाग आया, तो रैस्पाडेन्ट अप्रार्थी संख्या 2 ने अन्दर से दरवाजा बन्द कर कहने लगी कि मैं खुद आत्महत्या कर लूंगी और तुझे व तेरे अन्य पुत्रों को फंसाकर छोडूंगी, नहीं तो जो 95,00,000/– रूपये की तुम ने जमीन बेची है, उन रूपयों में से आधे रूपये मुझे दो, नहीं तो झूठे मुकदमों का नतीजा झेलने को तैयार हो जाओं। रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण अब भी आये दिन गाली गलौच करना व आने जाने पर अपशब्द बोलते रहते हैं एवं मरने मारने की धमकी देते रहते हैं, जिससे अपीलान्ट प्रार्थी अब रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण से परेशान हो गया है व अब मिन अपीलान्ट प्रार्थी, रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण को उक्त जायदाद जो उनके कब्जे में है, जो रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण ने नाजायज रूप से अतिक्रमण कर रखा है, उनको नहीं रखना चाहता हूँ व खाली कराना चाहता हूँ, जिससे तहत अदालत में प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। मिन अपीलान्ट प्रार्थी काफी वृद्ध आदमी है, जो बूढापे में शान्ति से रहना चाहता है। रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण ने मकान खाली नहीं किया, तो रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण मेरा व मेरे अन्य पुत्रों को जीने नहीं देंगे, हमारा जीना हराम किया हुआ है। रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण, मिन अपीलान्ट प्रार्थी व मेरे अन्य पुत्रों की कोई खबरगिरी नहीं लेते हैं, ना मिन अपीलान्ट प्रार्थी का रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण गुजारा करते हैं व आये दिन रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण, मिन अपीलान्ट प्रार्थी व मेरे अन्य पुत्रों से झागडा फसाद करते हैं। अभी हाल ही में दिनांक 12–11–2021 को मिन अपीलान्ट प्रार्थी अपने पुराने गांव दाउदपुर गया हुआ था, तो पीछे से हारूनखां व उसके परिवार ने मिन अपीलान्ट प्रार्थी के पुत्र सहरून खां व उसकी पत्नि असमा व सहरून खां की साली राबिया व मेरे पुत्र साहिल खां से मारपीट व छेड़छाड़ चालू कर दी। मिन अपीलान्ट प्रार्थी घर आया तो मिन अपीलान्ट प्रार्थी को गन्दी–गन्दी गालियां दीं व मारने पीटने पर उतारू हो गये। दिनांक 13–11–2021 को सुबह करीब 6 बजे मिन अपीलान्ट प्रार्थी अपने दांत साफ कर रहा था, तो बाहर गैलेरी में मिन अपीलान्ट प्रार्थी हारून खां व उसकी पत्नी व उसके पुत्रान ने घेर लिया और मारपीट चालू कर दी मिन अपीलान्ट प्रार्थी चिल्लाया तो मिन अपीलान्ट प्रार्थी के पुत्र सहरून खां व साहिल खां ने आकर बीच बचाव कराकर मिन अपीलान्ट प्रार्थी को बडी मुश्किल से बचाया जिस वाके की प्रथम सूचना रिपोर्ट 397/2021 जो राबिया ने महिला थाना अलवर में दर्ज करायी व प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 302/2021 थाना शिवाजी पार्क अलवर में मिन अपीलान्ट प्रार्थी ने हारून खां व उसके परिवार के विरूद्ध दर्ज करायी है व हारून खां ने भी अगले दिन मिन अपीलान्ट प्रार्थी के अन्य पुत्रों व उनके परिवारजनों के विरूद्ध महिला थाना अलवर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 398/2021 झूठी दर्ज करायी है, जिससे जाहिर होता है कि रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण का मिन अपीलान्ट प्रार्थी के साथ रहना संभव नहीं है तथा मिन प्रार्थी अपीलान्ट के व उसके परिवार पर झूठे मुकदमे बार बार दर्ज करवाते हैं। बाद अनुसंधान उक्त प्रकरणों में मुकामी पुलिस झूठा मानते हुए एफ.आर. पेश कर देती है। मुकदमा संख्या 398/2021 व 408/2021 को मुकामी पुलिस थाना महिला अलवर ने बाद अनुसंधान झूठा मानते हुए एफ.आर. पेश की तथा मिन प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा दर्ज कराये गये प्रकरणों को सही मानते हुए प्रकरण संख्या 397/2021 थाना महिला अलवर व 302/2021 थाना शिवाजी पार्क अलवर में मुलजिमान हारूनखां वगैरा के खिलाफ चालान पेश किया गया है तथा प्रकरण संख्या 397/21 में मुलजिम हारून न्यायालय श्रीमान से बर जमानत है व दो अन्य अभियुक्त सोहेल व सादिक उक्त प्रकरण में मफरूर हैं। यह कि मिन

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

प्रार्थी अपीलान्ट ने रैस्पाडेन्ट हारून व उसकी पत्नी वहीदन तथा अन्य वारिसान को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है, जिस बाबत एक सूचना दैनिक भास्कर अलवर संस्करण में दिनांक 06–03–2022 को प्रकाशित करवा दी है, जिससे भी साफ रोशन होता है कि मिन प्रार्थी अपीलान्ट, अप्रार्थी रैस्पाडेन्ट से तंग आकर उसको अपनी समस्त चल अचल संपत्ति से बेदखल करना चाहता है। प्रार्थी अपीलान्ट व रैस्पाडेन्टान व अन्य वासिन्दगान दाउदपुर व सामाजिक लोग व रिश्तेदारों की मौजूदगी में एक सामाजिक पंचायत की गई थी जिसमें सभी लोगों ने हारून व उसके परिवारजन के व्यवहार को गलत मानते हुए तथा मिन प्रार्थी अपीलान्ट ईशाक के खिलाफ किये जा रहे व्यवहार को गलत मानते हुए एक मेजरनामा तैयार किया और उसमें भी अप्रार्थी रैस्पाडनेटान को मिन प्रार्थी अपीलान्ट की चल अचल संपत्ति से बेदखल व अन्य सामाजिक व्यवहार से माना। तारीख 13–11–2021 को अप्रार्थीगण ने उक्त जायदाद जो आरजी तौर पर मिन अपीलान्ट प्रार्थी का पुत्र होने तक नाते मिन अपीलान्ट प्रार्थी से ली थी, खाली करने से साफ इंकार कर दिया है। जिससे प्रार्थना–पत्र तहत अदालत में पेश किया गया है। मिन अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत में प्रार्थना पत्र पेश करने पर रैस्पाडेन्टान की तामील हुई व रैस्पाडेन्टान ने तहत अदालत में गलत तथ्यों के आधार पर परिवाद पत्र पेश किया। तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट को कोई दस्तावेजी सबूत व साक्ष्य पेश करने का कतई मौका नहीं दिया व गलत तरीक पर मिन अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है। मिन अपीलान्ट के रेस्पाडेट संख्या 1 के अलावा मोहम्मद साहुन, सहरून खां, साहिल खां पुत्रान हैं जो मिन अपीलान्ट के साथ रहते हैं व साहिल खां पुत्र अभी अविवाहित हैं। तहत अदालत ने गलत तरीक पर इकतरफा दिमाग बनाकर प्रार्थना पत्र अपीलान्ट खारिज करने में भारी भूल की है। तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र गलत तरीक पर खारिज कर देने से रैस्पाडेन्टान के हौसले ओर भी बुलन्द हो गये हैं व सरेआम मिन अपीलान्ट व मिन अपीलान्ट के पुत्रान से कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसे संगीन जुर्म में फंसायेंगे जहां से तुम्हारी जमानत नहीं हो सकेगी, रैस्पाडेन्टान काफी प्रभावशाली, खूंखार किस्म के हैं व एक ही परिवार के हैं, जिन्होंने मिन अपीलान्ट व मिन अपीलान्ट के अन्य पुत्रान के खिलाफ एक नाजायज गिरोह पार्टी बना रखी है जो गलत व झूठे मुकदमे में फंसाते रहते हैं व फंसाने के आदि हैं। तहत अदालत को मिन अपीलान्ट द्वारा पेशकर्दा प्रार्थना पत्र व रैस्पाडेन्टान द्वारा पेशकर्दा जवाब प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करतीं, किन्तु तहत अदालत द्वारा मात्र प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर ही आदेश पारित कर दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है, जिससे भी तहत अदालत का आदेश निरस्त होने योग्य है। चूंकि तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट को अपने प्रार्थना पत्र ताईद में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का कतई अवसर नहीं दिया व गलत तरीक पर मिन अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भारी भूल की है।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट मंजूर फरमायी जाकर तहत अदालत की आज्ञा दिनांक 11–02–2022 मंसुख फरमाया जावे मिन अपीलान्ट प्रार्थी सीनियर सिटीजन होने के कारण रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण से मिन अपीलान्ट प्रार्थी के स्वंय के खरीदशुदा मकान गणपति विहार तिजारा फाटक के पास अलवर जिसको रैस्पाडेन्टान अप्रार्थीगण से खाली कराया जाकर, मिन अपीलान्ट प्रार्थी को कब्जा दिलाया जावे, एंव रैस्पाडेन्ट हारून द्वारा हथियार की नौक पर मिन प्रार्थी अपीलान्ट से डरा धमकाकर जो 12,00,000/– रूपये का चैक प्राप्त कर भुगतान प्राप्त किया था व 3,00,000/– रूपये नगद लिये थे वे नगद दिलाये जावे व मिन अपीलान्ट प्रार्थी की जानमाल की रक्षा की जावे व रैस्पाडेन्टान को पाबन्द किया जावे कि आये दिन झगडा फसाद ना करे व झूठे मुकदमाआत ना करे। निर्णय न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर राजस्थान दिनांक 11.02.2022 प्रकरण संख्या 03/27/2021

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अपास्त फरमाया जावे। अपीलान्ट द्वारा अपील के समर्थन में CRWP 1357-2019, wpst-10611.18(j), RLW-Pg- 1270 पेश किए हैं।

विद्वान वकील रेस्पोडेंटान ने दौराने बहस निवेदन किया कि मिन प्रार्थी का एक रिहायशी मकान गणपति विहार तिजारा फाटक के पास अलवर में है जिसमें प्रार्थी, अप्रार्थी अपने परिवार सहित रहता है व प्रार्थी का पुत्र भी वहीं पर निवास करता है। अप्रार्थी संख्या 01 के दादा हाजी स्व० श्री रहमान खां की अचल सम्पत्ति दाऊदपुर में स्थित थी, उसने अपने जीवनकाल में बेचान कर अपने पुत्रों यानी अप्रार्थी सं0 01 पिता ईसाक खां व अप्रार्थी संख्या 01 के सगे चाचा आसू खां के नाम ग्राम जाहरखंडा में खरीद करवाई थी तथा तत्पश्चात अपार्थी संख्या एक के पिता व चाचा ने उक्त आराजीयात को बेचान कर दिया व अप्रार्थी संख्या एक के पिता ने सस्ती आराजीयात उसी गांव जाहरखेडा व ग्राम उलाहेडी में खरीद कर जो आराजीयात खरीद की गयी, जिसमें अप्रार्थी संख्या एक और भाईयों की दादालाई आराजीयात में पूर्ण हिस्सा बनता था। प्रार्थी ने अपने पुत्रों अप्रार्थी संख्या 01 हारून खां एवं सहरून खां च मोहम्मद साहुन खां का निकाह कर दिया और अभी शाहिल खां अविवाहित है एवं अपनी तीन पुत्रियों का मिन प्रार्थी ने निकाह कर दिया है। अप्रार्थी संख्या एक बाद निकाह से अर्सा करीब 15–16 साल से अपने परिवार के साथ मिन प्रार्थी के मकान में नहीं, बल्कि दादालाई द्वारा बनाये हुये मकान में रहकर खान पान करता है। अप्रार्थी संख्या एक का घर में बड़ा पुत्र होने के नाते सारे फर्ज बखूबी से निभाये हैं। अप्रार्थी आज की तारीख में इनके पीछे सारी कमाई लगा चुका है और बर्बाद हो गया है। प्रार्थी का पुत्र साहुन खां करीवन 5–6 साल से दिल्ली रहता हो बल्कि वह कशमीर रहता है और वह हमेशा गोरख धन्धों में रहता है जिसका प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या एक द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर डीजीपी राजस्थान व गृह मंत्रालयों को सूचना दी जा चुकी है। प्रार्थी व उसके अन्य पुत्र एक साथ ही रहते हैं। इससे पूर्व अप्रार्थी ग्राम ककराली तहसील व जिला अलवर में असमीनां पुत्री हाजीपिट्टल के ब्याहा था पर इसका श्रीनगर वाली औरत शहनाज के साथ अवैध रिश्तों के कारण तलाक हुआ और उस तलाक के एवज में भरण–पोषण की 35 लाख रूपये भी देने पड़े थे और 25 लाख रूपये दूसरी शादी करने में व महर आदि व अन्य देने में खर्च किये गये। उस बाबत उक्त कोठी को बैंक में गिरवी 80 लाख रूपये में रखनी पड़ी, क्योंकि कोठी पिता/प्रार्थी के नाम थी और पिता एवं प्रार्थी ने यह गिरवी रखी। प्रार्थी की उम्र 70 वर्ष से अधिक होने व बी.पी. शुगर व अन्य बीमारियों से ग्रसित होने के कारण प्रार्थी के अन्य पुत्र इसी बात का बेजा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अप्रार्थी संख्या एक ने जब विरोध किया तो मुकदमेबाजी पर उतर आया है। प्रार्थी ने स्वयं अपनी मर्जी और स्नेह वश अप्रार्थी संख्या 3 को बेसमेन्ट दिया हुआ है, किन्तु बंटवारा नहीं हुआ है। यह सही है कि अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी जायज पुत्र है। यह भी स्वीकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 प्रार्थी की पुत्र वधु है। अप्रार्थी संख्या 03, 04 प्रार्थी के पौत्र हैं व अप्रार्थी संख्या 05 प्रार्थी की पौत्री है। बल्कि प्रार्थी की पत्नी या अप्रार्थी संख्या 01 की माता रेशमी बेगम बी.पी. शुगर होने की वजह से दोनों किडनी फैल खराब हो गई थी वही मृत्यु का कारण बना। बल्कि अप्रार्थी संख्या 01 अपनी माता का समय समय पर ईलाज हेतु दिल्ली और गुडगांव अस्पताल में ले जाता रहा और अपनी स्वयं की कमाई से माता के ईलाज के लिये और जिन्दा रखने के लिये जी खोल खर्च करता रहा है। इसमें अप्रार्थी के पिता यानी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 के अन्य भाईयों ने ना तो कोई आर्थिक मदद की ना ही कोई सहयोग दिया और डायलिसिस अप्रार्थी राज्या 01 स्वंय करवाता था। प्रार्थी ने अपनी छोटी पुत्री का निकाह किया था तब कोई कर्जा नहीं हुआ था और भात छूछक भरे गये थे, उनमें भी कोई कर्ज नहीं हुआ था। प्रार्थी ने जो वाके ग्राम जाहरखेड़ा में सिर्फ 95 लाख रूपये अप्रार्थी संख्या 01 की दादालाई सम्पत्ति का बेचान कर दिया जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 का उसमें 19 लाख रूपयें यानी 1/5 हिस्सा बनता था जिसमें मात्र 12 लाख रूपये का चैक दिया था जिसमें 7 लाख रूपये अप्रार्थी संख्या एक का और हिस्सा बनता था, उसमें

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

से भी 5 लाख रूपये का चेक काटकर दिया था जिसकी छाया प्रति अप्रार्थी संख्या एक के पास है जो अब भी प्रार्थी के पास है। प्रार्थी काफी वृद्ध आदमी है। इसी बढापे का नाजायज फायदा प्रार्थी के अन्य पुत्र शहरून साहिल व साहुन उठा रहे हैं और उनके बहकावे में है और वह उससे उसके नाम दादालाई की समस्त सम्पत्तियों को अपने नाम ट्रांसफर करवा रहे हैं। अप्राथीगण, प्रार्थी की सेवा टहल करते चले आ रहे थे, अचानक उसका बदल जाना आश्चर्यजनक है। प्रार्थी के अन्य पुत्र प्रार्थी को बरबाद कर रहे हैं। प्रार्थी को उनसे बचाया जाना चाहिये और अप्रार्थीगण पहले भी गुजारा ही नहीं, बल्कि पूरा ख्याल रखते चले आ रहे हैं और अब भी तैयार और तत्पर हैं। .अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के निर्णय दिनांक 11.02.2022 के संबंध में अनुतोष हेतु निवेदन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया कि उक्त अधिनियम भारतीय समाज के रीति रिवाजों पर आधारित है और व्यक्तिगत झगडे को सुलझाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ना ही उक्त बिन्दू पर वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत किसी प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा अपने परिवाद में भरण पोषण नहीं चाहा गया है। धारा 22 में सम्पत्ति का सशर्त अन्तरण को शून्य घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अधिनियम की धारा 23 में वर्णन अनुसार बेदखल किया जाना उचित नहीं माना गया। अधिनियम की धारा 23 मौजूदा प्रकरण व पारिवारिक घटनाक्रम पर चस्पा नहीं होती है। उक्त अधिनियम की धारा 23 में बेदखली (EVICTION) का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम 2007 निर्दिष्ट विधि अनुसार पारित निर्णय दिनांक 11.02.2022 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का आदेश दिनांक 11.02.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थं प्रेषित की जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान